

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमति मंजू देवी पत्नि कृष्णचन्द ब्राह्मण निवासी भट्टों का बामणिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

बनाम

तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

प्रकरण संख्या 128/2021 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रुक-रुक कर तीन-चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट्स तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट्स तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पुनः लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	